30

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

सेवामें,

विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3,
लखनऊ ।

प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्राप्ति क्रमांक 40
दिनांक 02/07/11
रा.म.पा.शामली (मुजफ्फरनगर)

संख्या 2495/बारह–ए/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 01–07–2011

विषय ग्राम फजैलपुर परगना कांधला तहसील शामली जिला मुजफ्फरनगर खाता संख्या 443 खसरा संख्या 330 रकबा 2.613है0 में से 2.049है0 भूमि आई0टी0 महामाया पालिटैक्निक की स्थापना हेतु पुर्नग्रहण किये जाने के संबध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या– 417/सोलह–प्रा0शि0–3–2011–5बी2011, दिनांक 28–3–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की गई है । प्रश्नगत प्रकरण में मा0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा पारित आदेश संख्या 2049/प्र0अ0/आर0ए0–2, दिनॉक 24–6–11 की छाया प्रति शासन के अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नकः–यथोपरि,

भवदीय,

(डा0 राम मनोहर मिश्रा),
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर ।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्तः

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को मा0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के आदेश संख्या 2049/प्र0अ0/आर0ए0–2, दिनॉक 24–6–11 की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, शामली ।
2– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
3– संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, दौराला, मेरठ ।
4– प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालीटैक्निक,शामली जिला मुजफ्फरनगर ।

संलग्नकः–यथोपरि,

(डा0 राम मनोहर मिश्रा),
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर ।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 318 /प्र0अ/आर0ए0 2/2011 दिनांक 27-1-2011

विषयः– ग्राम फजैलपुर परगना कांधला तहसील शामली जिला–मुजफ्फरनगर के खाता संख्या 443 खसरा संख्या 330 रकबा 2.613 हे0 में से 2.049 हे0 भूमि आई0टी0आई महामाया पालिटैक्निक की स्थापना हेतु पुर्नग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 942/बारह–ए/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 11.01.2011 का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण का अवलोकन करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैः–

1– शासन के पत्र संख्या 972/16–प्रा0शि0–3–08–69(बी0)–2007 व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 04.08.2008 जो प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 के अ0शा0 पत्र संख्या 4824/16–प्रा0शि0–3–2010 दिनांक 21.09.2010 के साथ प्राप्त हुआ है में जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थानाभवन में महामाया आई0टी0 पालिटैक्निक नाम से स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था। आपके पत्र दिनांक 11.01.2011 में थानाभवन में महामाया आई0टी0 पालिटैक्निक स्थापित न करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। पत्र के साथ संलग्न राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 02.12.2010 में यह उल्लेख किया है कि उसके राजस्व निरीक्षक क्षेत्र थानाभवन में 5 एकड भूमि उपलब्ध नहीं है किन्तु इसकी पुष्टि में थानाभवन की कोई खतौनी का उद्धरण संलग्न कर प्रेषित नहीं किया है।

2– पत्र के साथ संलग्न उद्धरण खतौनी 1413 व 1418 ग्राम फजैलपुर के अवलोकन से विदित है कि जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 24.12.2000 के द्वारा खसरा नम्बर 330/2.613 हे0, 46/0.382, 48/0.772 नवीन परती स्थित फैजलपुर तथा खसरा नम्बर 1028/0.5.., 1045/0.541 स्थित जसाला को राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान को आवंटित की गयी, का अमलदरामद अंकित है। इसी के साथ न्यायालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के पत्र संख्या 2970/प्र0अ0/आर0ए0–2/45 दिनांक 29.09.2007 के पत्र का 03 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के उपरान्त अमलदरामद दिनांक 31.12.2010 को खतौनी में करते हुए यह उल्लेख किया कि ग्राम फजैलपुर तहसील शामली के खसरा संख्या 46/0.3816 व 48/0.7715 हे0 भूमि का पुर्नग्रहण आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु किया गया। आदेश हुआ कि वर्तमान मे उक्त भूमि के पुर्नग्रहण की आवश्यकता नही है। इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 2970/प्र0अ0/आर0ए0 2/45 दिनांक 29.09.2007, कार्यालय का पत्र था न्यायालय का कोई आदेश नहीं था जिसका 03 वर्ष से अधिक का समय बीतने के उपरान्त अमलदरामद मालकान रजिस्टर में करने का कोई औचित्य ही नहीं था। इस बारे में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जानी वांछनीय है।

3– उप जिलाधिकारी, शामली द्वारा दिनांक 06.01.2011 को प्रमाण पत्र दिया गया कि ग्राम फजैलपुर में कोई पात्र व्यक्ति प्रकाश मे नहीं आया है। ग्राम फजैलपुर की उद्धरण खतौनी 1418 फसली के खाता संख्या 00443 पर भूमि प्रबन्धक समिति जसाला फजैलपुर प्रस्ताव दिनांक 17.08.2007 को उपजिलाधिकारी शामली ने आदेश दिनांक 13.09.2007 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है



E:\123.doc

(27)



जिसमें ग्राम जसाला के श्रीमती ओमकली आदि 06 आवंटियों को भूमि आवंटित की गयी है। सभी आवंटी ग्राम जसाला के है कोई भी आवंटी ग्राम फजेलपुर का नहीं है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम फजैलपुर गैर आबाद गॉव है। ग्राम जसाला का ही यह फजेलपुर गैर आबाद ग्राम है। ग्राम जसाला के पात्र व्यक्तियों में नवीन परती की भूमि का आवंटन किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल, तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता की जॉच की जानी आवश्यक है।

4- ग्राम जसाला मे आई०टी०आई० की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तहसील शामली मे कार्यरत रहे उप जिलाधिकारियों के द्वारा पारित किये गये आदेशों के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 1022/बारह-1/डी० [illegible]आर०सी० दिनांक 23.01.2007 पर जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की आख्या/संस्तुति इस कार्यालय के अन्तिम पत्र संख्या-5877/प्र0अ0/आर०ए० [illegible]/2010 दिनांक 24.12.2010 के द्वारा मांगी गयी थी किन्तु अभी तक कोई आख्या संस्तुति उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुयी है।

5- आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2876/बारह-ए/डी0एल0आर०[illegible] दिनांक 19.08.04 के साथ प्रेषित प्रस्ताव में नायब तहसीलदार शामली ने दिनांक 05.08.2004 (प्रति संलग्न) को यह आख्या दी थी कि खसरा नं0-330 क्षे0 2.613 हे0, खसरा नं0-46 क्षे0 0.382 हे0 व खसरा नं0-48 क्षे0 0.772 हे0 स्थित ग्राम फजेलपुर व खसरा नं0-1043 क्षे0 0.541 हे0 स्थित ग्राम जसाला, जो पूर्व में राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम भू अभिलेखों मे अंकित है जिनमें से खसरा नं0-330 को राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए अनुपयुक्त माना गया इस कारण शेष तीनों नम्बरान खसरा नं0-46, 48 एवं 1045 को पुर्नग्रहण किये जाने की आख्या दी थी जिसे तहसीलदार शामली द्वारा दिनांक 05.08.2004 को व उपजिलाधिकारी शामली द्वारा दिनांक 06.08.2004 को संस्तुति सहित प्रेषित किया था किन्तु अब पुनः खसरा नं0-330 को [illegible] प्रयोजन हेतु अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव किस आधार पर भेजा गया है, का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में कृपया पूरे प्रकरण की [illegible] कर सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति शासनादेशों के अनुरूप शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर